कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग
Phone/Fax :- 01363-244204 E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक :- 847/10 एल०ए० दिनांक :- 26/4/2017

सेवा में ,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वनप्रभाग
गोपेश्वर, (चमोली)

विषय :- **सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी० 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग निर्माण के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :- **आपका पत्रांक 3694/12–1 दिनांक 25.01.2017।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	There are four villages reported to be benefited by the road while it is mentioned in village wise break up that the road is passing through the area of only one village Baniyas but the village level committee (VLC) proceeding provided for different village Dharkot. The State Govt. may correct the information in village wise break up in Part I and provide VLC proceeding for all village through which the proposed road alignment is passing.	सभी 4 ग्रामों का विवरण पार्ट–। के क्रम संख्या B-2.3 में Village wise break up Mention में दर्शा दिया गया है। उक्त मोटर मार्ग से ग्राम बनियास लाभान्वित हो रहा है जो कि धारकोट ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आता है। मार्ग तीन ग्राम पंचायत की भूमि से गुजर रहा है जिसका village level committee FRA पार्ट–। के क्रम संख्या K (a) में संलग्न कर दिया गया है।
2	The date of village level committee proceeding is mentioned 15-01-2015 which is after the date of FRA certificate which is procedurally incorrect. All other committee meeting supposed to be held after the meeting of VLC.	Village level committee (VLC) FRA संशोधित कर दिया गया है।
3	The State Govt. may upload the complete FRA certificate along with all annexure in correct order of date in column K of Part I after making necessary corrections as mentioned in above points 7 and 8.	पार्ट–। के क्रम संख्या K (a) में संशोधित FRA क्रमबद्ध अपलोड कर दिया गया है। **(संलग्नक–1 पेज 2 से 8)**
4	In the suitability certificate uploaded in online Part II, the name of the area market for CA is mentioned in various villages but only two patches are shown in the digital and SoI toposheet map. The State Govt. may clarify that how much patch is involved in CA and furnish details in online Part I accordingly.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 7 patches में क्षतिपूर्ति हेतु भूमि उपलब्ध करायी गयी है। जिसका संशोधित Map उपलब्ध करा कर पार्ट–। के क्रम संख्या L (iv) में संशोधित विवरण भर दिया गया है।

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :- **उपरोक्त।**

26/04/17

(जे०पी०रतूड़ी)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

26/4/17

Annexure-I

FORM-I
(for Linear Projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. / Dated : 14 / 01 /2015

mak
J.E

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that **1.449 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Works Department Uttarakhand** for **Construction of Baniyash Motor Road from Simli Chulakot Motor Road in Km 11** falls within jurisdiction of Baniyash Village in Karanprayag Tehsil.

It is further certified that :-

(g) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.**449 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).
(h) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,
(i) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above

Sanjay Kumar
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)

Annexure-I

Office of the District Collector,
District-Chamoli (Uttarakhand)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act)FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhnad), constiruted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Sanjay Kumar, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 14.01.2015..... At 14.00 hrs. at Chamoli in which the application claiming rights in village Baniyash of Tehsil-Karanprayag, area Measuring 1.449 Hectares for the **Construction of Baniyash Motor Road from Simli Chulakot Motor Road in Km 11** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Karanprayag Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

Sanjay Kumar
District Magistrate –cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

(15)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नामः– चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली चुलाकोट मो० मार्ग के किमी० 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड ...चमोली... परिक्षेत्र के अर्न्तगत ...सिमली चुलाकोट मो० मार्ग के K.m. 11 से बनियास मो० मार्ग का निर्माण (...×... हे. आरक्षित वन भूमि ...1.449... हे. सिविल एवं सोयम वन भूमि ...×... हे. वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल ....हे. वन भूमि) का ...1.449... प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अर्न्तगत उप खण्ड स्तरीय समिति, (तहसील................) की दिनांक ...13/01/015... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वर्न अधिकार समिति की बैठक ...13/01/015... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1:– श्री ...किशन सिंह नेगी... उपजिलाधिकारी ....( ) अध्यक्ष

2:– श्री ...शिवानन्द सुमन... उप प्रभागीय बनाधिकारी .... सदस्य,

3:– श्री ...मोहन सिंह भण्डारी... सहायक समाज कल्याण अधिकारी .... सदस्य सचिव

4:– श्री .... बी.डी.सी. क्षेत्र .... सदस्य,

5– श्री मालचन्द पुरोहित वन अधिकार समीति सदस्य

6 श्रीमती सुशीला रावत वन अधिकार समीति सदस्य

7 श्री महिपाल सिंह नेगी

उप प्रभागीय वनाधिकारी चमोली उप वन प्रभाग (गोपेश्वर) बद्रीनाथ वन प्रभाग

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग अन्तर्गत सिमली चुलाकोट मो० मार्ग के K.m. 11 से बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु ...1.449... हे. वन भूमि लो० नि० वि०

कर्णप्रयाग... प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय बनाधिकारी ....द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड...कर्णप्रयाग...परिक्षेत्र के अर्न्तगत .... परियोजना के निर्माण हेतु ...1.449...हे. वन भूमि ....प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील...कर्णप्रयाग
जनपद ...चमोली...

प्रतिलिपि:— जिलाधिकारी ...चमोली...को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रपत्र– 23.1

परियोजना का नामः– जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी0 11 से बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नामः– ~~कोटी~~ धारकोट, सेरवाड़ी, धण्डियाल
तहसील – कर्णप्रयाग, जिला– चमोली,

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी0 11 से बनियास तक मोटर मार्ग का विस्तार परियोजना के निर्माण हेतु (X हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.442 हे0 सिविल सोयम भूमि X हे. वन पंचायत भूमि X हे.) अर्थात कुल 1.449 हे. वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धारकोट, सेरवाड़ी धण्डियाल द्वारा दिनांक 10/01/015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया गया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धारकोट सेरवाड़ी धण्डियाल के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी का परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत, धारकोट
ह0
वि0ख0 कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रधान ग्राम पंचायत सेरवाड़ी
हस्ताक्षर
दिनांक
वि0ख0 कर्णप्रयाग चमोली

ह0/–
ग्राम सचिव........—........ग्राम प्रधान ....
नोटः– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रस्तावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रधान ग्राम पंचायत धण्डियाल
दि0
वि0ख0 कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रपत्र– 23.1

दिनांक 10/01/015 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत धारकोट, ऐरवाड़ी, हरिपाल

कमाक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	प्रदीप सिंह	[signature]
	[signature]	[signature]
	त्रिलोक सिंह	त्रिलोक सिंह
	भरत सिंह	सुरेन्द्र सिंह
	नागेन्द्र सिंह	B. Singh
	[signature]	[signature]
	कुँवर सिंह	कुँवर सिंह
	हीरा सिंह	[signature]
	शंकर सिंह	[signature]
	12 मोहन लाल	[signature]
	ओम प्रकाश	ओम प्रकाश
	रोहित कुमार	रोहित
	हरीश	Harish
	Chandraprakash	Prash
	मनोज	manoj
	Vikram Kumar	[signature]
	उमेदा देवी	
	Shishupal lal	[signature]

जीत सिंह

जीत सिंह क्षेत्र पंचायत सदस्य ऐरवाड़ी वि०ख०-कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रधान ग्राम पंचायत ऐरवाड़ी वि०ख० कर्णप्रयाग चमोली

प्रधान ग्राम पंचायत ... कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रधान ग्राम पंचायत, धारकोट वि०ख०कर्णप्रयाग (चमोली)

Romesh lal-

वैसाकुलाल

Robindralal

KRIPAL LAL

Balwant Lal.

Romesh lal

वैसाकुलाल

कृपाल लाल

प्रधान ग्राम पंचायत, धारकोट
ह0
वि0ख0कर्णप्रयाग (चमोली)